कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 34 / 2025

श्री दीपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मुख्त्यार सिंह, जाति जाट उम्र 48 साल निवासी मकान नम्बर 339, राजेन्द्र नगर भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 7.8.2025

अपीलार्थी श्री दीपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मुख्त्यार सिंह, जाति जाट उम्र 48 साल निवासी मकान नम्बर 339, राजेन्द्र नगर भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत इस आश्य की प्राप्त हुई है, कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र तारीखी 06.06.2025 में चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी, द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 2025 / 636 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक कोर्ट केस / सू.का.अ. / 25 / 1141 दिनांक 29.7.25 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी / प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आरटीआई दिनांक 06.06.25 में चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना निशुल्क उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है। लोक सूचना अधिकारी, ने अपने जवाब पत्र क्रमांक कोर्ट केस / सू.का.अ. / 25 / 1141 दिनांक 29.7.25 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी ने चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावली का नम्वर, वर्प दिनांक अंकित नहीं किया है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी को कार्यालय के पत्र कंमांक /पी.ए. / आरटीआई / 25 / 503 दिनांक 27.6.2025 से सम्वन्धित रिकार्ड पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

गया है। लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बाबत सम्बन्धित पत्रावली का नम्बर, तारीख, वर्ष अंकित करते हुये विधिवत पुनः आवेदन करने हेतु लिखे जाने के उपरान्त भी प्रार्थी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत कर दी गई है। जब कि अपीलान्ट को चाहिये था कि वे लोक सूचना अधिकारी के द्वारा चाही गई वांछित जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करते। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट से अपेक्षा की जाती है कि वे चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावली का नम्बर, तारीख, वर्ष अंकित करते हुये लोक सूचना अधिकारी के यहाँ विधिवत आवेदन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करें। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर